बासेल II के कार्यान्वयन हेतु भारत की तैयारी *

वी. लीलाधर

आज की सुबह यहाँ आपके बीच उपस्थित रहना और इस सम्मानित श्रोता समाज के साथ बासेल II के कार्यान्वयन हेतु भारत की तैयारी के सम्बन्ध में अपने अनुभव एवं विचार व्यक्त करना मेरे लिए प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है । आज मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आयोजकों का अत्यंत आभारी हूँ । जैसा कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं, नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन अधिकांश देशों में एक लम्बी और अत्यधिक श्रमसाध्य यात्रा रही है। विभिन्न देश कार्यान्वयन के विविध स्तरों से गुजर रहे हैं । भारत में, देश की संरचना को ध्यान में रखते हुए तथा विनियामक सुधारों के प्रति समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप हमने बासेल II के चरणबद्ध कार्यान्वयन हेतु एक सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि हम नये ढांचे की ओर बिना किसी बाधा के अग्रसर हो सके। आज अपनी टिप्पणियों में संक्षेप में संशोधित ढांचे के विकास, इसके व्यापक विन्यास, इस ढांचे को कार्यान्वित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा की गई तैयारी से सम्बन्धित उपायों तथा उन चुनौतियों पर चर्चा करना चाहूंगा जिनसे बासेल II की ओर अभिगमन करते समय निपटना आवश्यक होगा ।

2. प्रारंभ में ही मैं यह बता देना चाहूंगा कि जबकि हम बासेल II ढांचे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, रिज़र्व बैंक ने भारत में पूंजी पर्याप्तता विनियमन के प्रति एक त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें बैंकों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए कड़ाई के अलग-अलग स्तर वाले मानदंड निर्धारित किए गए हैं । कुछेक अन्य अधिकार क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के विभेदक दृष्टिकोण अपनाए गए हैं । परिचालनों के आकार, स्वरूप और जटिलता तथा भारतीय वित्तीय क्षेत्र की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के बैंकों की प्रासंगिकता, महत्तर वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं एक कार्यकुशल ऋण सुपुर्दगी व्यवस्था उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह एक सुविचारित विकल्प है । इस प्रकार वाणिज्य बैंक, जिनकी हिस्सेदारी बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों में सर्वाधिक है, बासेल II मानकों की परिधि

* 13 सितम्बर, 2007 को होटल हिल्टन टॉवर्स, मुंबई, भारत में 'ग्लोबल बैंकिंग : पैराडिग्म शिफ्ट' विषय पर भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ - भारतीय बैंक संघ (फिक्की-आईबीए) सम्मेलन के दौरान समूह चर्चा में श्री वी. लीलाधर, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया विशेष व्याख्यान।

में आ जाएंगे, जबकि सहकारी बैंक बाज़ार जोखिम के प्रच्छन्न उपायों के साथ ऋण जोखिम हेतु बासेल I मानदंडों की परिधि में ही बने रहेंगे। दूसरी ओर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनका परिचालन ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है, बासेल मानकों की परिधि से बाहर रहेंगे।

बासेल II

3. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी पर्याप्तता मानकों को सुसंगत बनाने के प्रयास 1988 में उस समय आरंभ हो गए थे जब ''बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षी परंपराओं पर बासेल समिति'' जैसा कि उस समय इसका नामकरण किया गया था, ने एक पूंजी पर्याप्तता ढांचा जारी किया था, जिसे इस समय बासेल I के रूप में जाना जाता है । इस पहल में पूंजी पर्याप्तता और बैंकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले एक न्यूनतम अनुपात को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पहला ढांचा निर्धारित किया गया । यह मानदण्ड 100 से अधिक देशों में और भारत में भी व्यापक रूप से अपना लिया गया, इसे 1992 में कार्यान्वित किया गया । हालांकि कुछ वर्षों बाद बासेल I ढांचे में कतिपय सीमाएं पाई गईं जैसे कि ऋण जोखिम के प्रति उसका एक समान दृष्टिकोण, केवल ऋण एवं बाज़ार जोखिमों तक ही सीमित उसकी संकीर्ण व्याप्ति तथा विन्यस्त लेनदेनों के माध्यम से पूंजी अंतरपणन को प्रोत्साहित करने वाले ऋण जोखिम उपशामकों का अनभिज्ञान । इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग बाज़ारों एवं उत्पादों तथा बैंकों की आंतरिक प्रक्रियाओं में पिछले दशक में हुई द्रुतगामी प्रगति ने पूंजी मापने के बासेल I के सामान्य दृष्टिकोण को बहुत पीछे छोड़ दिया है । इसलिए इस समझौते के स्थान पर जोखिम के प्रति संवेदनशील एक ऐसे ढांचे को लाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया, जो इन कमियों को दूर कर सके ।

4. तदनुसार एक व्यापक प्रभाव क्षेत्र वाली विश्वव्यापी परामर्शी प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने 26 जून, 2004 को ''पूंजी की माप और पूंजी मानकों का अंतरराष्ट्रीय अभिसरण : एक संशोधित ढांचा'' जारी किया, जिसका अनुपूरक बाज़ार जोखिम संशोधन के अद्यतन द्वारा नवम्बर 2005 में जारी किया गया । यह प्रलेख, जो ''बासेल II ढांचे'' के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है बैंकिंग संगठनों के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का नया सेट उपलब्ध कराता है । यह आधुनिक जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करता है तथा बैंकों के परिचालनों और उनकी पूंजी आवश्यकताओं के बीच अधिक जोखिम अनुकूल संयोजन स्थापित करना चाहता है । यह बैंकों को उनकी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को सुधारने हेतु ठोस प्रोत्साहन भी प्रदान करता है । जोखिम संवेदनशीलता को अब सुज्ञात तीन पारस्परिक बलवर्धक स्तंभों के माध्यम से प्राप्त किए जाने की व्यवस्था है ।

5. स्तंभ 1 न्यूनतम पूंजी अनुपात निर्धारित करता है तथा वह विनियामक पूंजी के आवंटन की अतिरिक्त रूप से अपेक्षा न केवल ऋण जोखिम एवं बाज़ार जोखिम अपितु उस परिचालन जोखिम के लिए भी करता है, जिसका पहले वाले समझौते में समावेश नहीं था । पिछले समझौते के विपरीत स्तंभ 1 में परिकल्पित जोखिम की तीनों श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए पूंजी प्रभार का निर्धारण करने हेतु सरलीकृत से लेकर उन्नत दृष्टिकोणों की सूची उपलब्ध कराता है । उपयुक्त पूंजी राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा प्रयुक्त ऋण जोखिम उपशामकों का विशेष रूप से निर्धारण कर दिया गया है ।

6. इस ढांचे का स्तंभ 2 'पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया' (एसआरपी) से संबंधित है तथा संभवतः अन्य दो स्तंभों जितना अच्छी तरह नहीं समझा जा सका है । वास्तव में यह एक ऐसा तत्व है जो बैंकों के सम्पूर्ण जोखिम प्रभाव क्षेत्र का निराकरण करते हुए अपने प्रवाह में संशोधित ढांचे को अत्यधिक व्यापक बना देता है । मैं थोड़ा और विस्तार में जाना चाहूंगा । यह बैंकों से एक ऐसी आंतरिक

पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) विकसित करने की अपेक्षा करता है जिसमें उनका सम्पूर्ण जोखिम लोक परिवेष्टित हो - ऐसे सभी जोखिमों के निराकरण द्वारा जो या तो पूर्ण रूप से नहीं पहचाने गए हैं या फिर अन्य दोनों स्तंभों के अधीन बिल्कुल नहीं पहचाने गए हैं तथा इस प्रकार के जोखिमों के लिए आंतरिक रूप से उनकी जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण परिवेश के अनुरूप पूंजी की एक रकम नियत कर दें । पर्यवेक्षी पुनरीक्षा के अधीन पर्यवेक्षक बैंकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) का विस्तृत परीक्षण करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी, तो स्तंभ 1 में परिकल्पित न्यूनतम पूंजी अनुपात के अलावा उच्चतर पूंजी अपेक्षा निर्धारित कर सकते हैं ।

7. उक्त ढांचे के स्तंभ बाज़ार अनुशासन में बैंकों द्वारा किए जाने वाले प्रभावी सार्वजनिक प्रकटन पर बल दिया गया है तथा वह अन्य दो स्तंभों का महत्वपूर्ण अनुपूरक है । यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि बैंकों पर विनियामकों के अलावा बाज़ारों द्वारा भी निगरानी रखी जाती है और यह कि बाज़ारों द्वारा लागू किया गया अनुशासन उतना ही शक्तिशाली हो सकता है जितना कि विनियामक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध । यह इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित होता है कि बाज़ार किए गए प्रकटन के प्रति पूर्णतः प्रत्युत्तरदायी होंगे तथा बैंकों को बाज़ार की शक्तियों द्वारा प्रकटन के स्वरूप के अनुरूप ही विहित रूप से पुरस्कृत या दंडित किया जाएगा ।

बासेल-II के कार्यान्वयन हेतु तैयारी संबंधी उपाय

8. अब मैं बासेल II के कार्यान्वयन हेतु भारत में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा । यद्यपि भारतीय बैंकों ने बासेल समझौते का मार्च 2005 में पूरी तरह अनुपालन कर लिया था, रिज़र्व बैंक ने तैयारी सम्बन्धी उपाय उसके भी पहले से आरंभ कर दिए थे । अगस्त 2004 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा नया ढांचा जारी किए जाने के तुरंत बाद ही बैंकों को उनकी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का स्व-मूल्यांकन करने तथा बासेल II ढांचे की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय आरंभ करने की सलाह दी गई थी । इसके अलावा बासेल II की ओर अविघटनकारी अभिगमन के लिए एक परामर्शात्मक एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण निश्चित करने के लिए अक्तूबर 2004 में एक संचालन समिति गठित की गई थी जिसमें 14 चुनिंदा बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के समावेश सहित) के वरिष्ठ अधिकारियों का समावेश था । इसने बासेल II के अधीन विशिष्ट मुद्दों का निराकरण करने के लिए कतिपय उप-समूहों का गठन किया था तथा अपनी सिफारिशें रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कीं । इन जानकारियों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2005 में बासेल II ढांचे की अपेक्षाओं के स्तंभ 1 और स्तंभ 3 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सार्वजनिक टिप्पणी के लिए दिशानिदेशों का मसौदा जारी किया । बैंकों और अन्य पणधारियों के बड़े तबके से प्राप्त प्रतिसूचना के प्रकाश में दिशानिदेशों के मसौदे को संशोधित किया गया तथा परामर्श के दूसरे दौर के लिए 20 मार्च 2007 को पुनः सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखा गया । प्राप्त हुई अतिरिक्त प्रतिसूचना को ध्यान में रखते हुए इन दिशानिदेशों को अंतिम रूप दिया गया तथा उन्हें 27 अप्रैल 2007 को जारी कर दिया गया । जहां तक स्तंभ 2 का संबंध है, बैंकों से उनके निदेशक मंडलों से अनुमोदन प्राप्त करते हुए अपेक्षित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया को लागू करने के लिए कहा गया है ।

9. यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि अंतिम दिशानिदेशों को जारी किए जाने से पहले भी रिज़र्व बैंक ने मई 2006 में बैंकों से दिशानिदेशों के मसौदे के अनुसार समानांतर अभ्यासों (रंस) का आयोजन आरंभ करने के लिए कहा था, ताकि वे अपने आपको नए ढांचे की अपेक्षाओं से परिचित करा सकें । समानांतर अभ्यास (रन) की अवधि में बैंकों से अपेक्षा होगी कि वे वर्तमान में लागू बासेल I के मानदंडों तथा भविष्य में लागू होने वाले बासेल II के दिशा

निर्देशों, दोनों ही के अधीन उनके पूंजी पर्याप्तता अनुपात की समानांतर रूप से निरंतर आधार पर गणना करते रहें । कतिपय अन्य निर्धारित मूल्यांकनों के साथ ही इस विश्लेषण को प्रत्येक तिमाही में बैंकों के निदेशक मंडलों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है तथा उसे रिज़र्व बैंक को भी प्रेषित किया जाना है । रिज़र्व बैंक में प्राप्त होने वाली इन रिपोर्टों से यह पता चलता है कि बैंकों में बासेल II का कार्यान्वयन सुस्थिर हो जाने की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

10. बासेल II मानदंडों के अधीन निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात एकाकी और समेकित स्तर पर निरंतर नौ प्रतिशत ही बना हुआ है । हालांकि, यह बासेल II के अधीन बैंकों को उपचित हो सकने वाली उस पूंजी राहत से उद्भूत उनके पूंजी अनुपात में होने वाली किसी महत्वपूर्ण गिरावट से उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कार्यान्वयन के पहले तीन वर्षों के लिए निर्धारित विवेकसम्मत न्यूनतम रकमों की शर्त पर है । तथापि, बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यूनतम पूंजी आवश्यकता से पर्याप्त रूप से अधिक स्तर पर परिचालन करें । बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे छह प्रतिशत के टियर I पूंजी अनुपात का लक्ष्य, एकाकी और समेकित, दोनों ही आधारों पर अधिक से अधिक 31 मार्च 2010 तक प्राप्त कर लें ।

11. बैंकिंग प्रणाली को पर्याप्त समय-सीमा प्रदान करने के लिए इन दिशानिदेशों के कार्यान्वयन के लिए एक द्वि-स्तरीय कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है । तदनुसार भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों और भारत से बाहर परिचालनात्मक उपस्थिति रखने वाले भारतीय बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे 31 मार्च 2008 से ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण तथा परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण में अभिगमन कर लें । अन्य सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का बासेल II के अधीन उन्हें उपलब्ध संरेखण अवधि के अनुरूप किन्तु हर हाल में 31 मार्च 2009 तक इन दृष्टिकोणों में अभिगमन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है । उक्त ढांचे के अधीन उपलब्ध अपेक्षाकृत सरल दृष्टिकोणों से शुरुआत करने का निर्णय सोच-समझकर लिया गया है । जहां तक बाज़ार जोखिम का सम्बन्ध है, बैंक बासेल I ढांचे के अधीन पहले से अपनाई गई मानकीकृत अवधि पद्धति को बासेल II के अधीन भी अपनाए रहेंगे ।

12. इस प्रकार पहले से किए गए सुनियोजित और सावधानीपूर्वक-क्रमबद्ध तैयारी से सम्बन्धित कार्य, राष्ट्रीय विवेक के साथ-साथ चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्यक्रम के अधीन रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयोग किए गए विकल्पों पर भरोसा करते हुए मैं यह विश्वास करने के लिए प्रवृत्त हूँ कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली को तैयारी की अच्छी स्थिति में माना जा सकता है तथा वह अगले वर्ष निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप बासेल II में समेकित अभिगमन के लिए अच्छी तरह तैयार मिलेगी । हालांकि, यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रक्रिया बहुत सरल होगी - क्योंकि कार्यान्वयन के वर्तमान चरण तथा उन्नत दृष्टिकोणों की ओर आगे बढ़ते समय भी ऐसी पर्याप्त चुनौतियां उपस्थित होंगी, जिनसे हम सबको भविष्य में निपटना होगा ।

भावी चुनौतियां

13. अब मैं संक्षेप में कुछेक ऐसे मुख्य मुद्दों और चुनौतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहूंगा जो बासेल II ढांचे के अपनाए जाने के कारण भारतीय बैंकिंग प्रणाली के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं । हालांकि, यहां दी जाने वाली सूची किसी भी प्रकार से व्यापक नहीं है ।

पहला, यदि परिचालन जोखिम के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पूंजी को ऋण जोखिम के लिए उपलब्ध पूंजी राहत से समायोजित नहीं किया जाता, तो नए मानदंडों से कुछेक मामलों में विशेषतः भारत में अपनाए गए अपेक्षाकृत सरल दृष्टिकोणों के अधीन बैंकों के लिए समग्र विनियामक पूंजी आवश्यकता में वृद्धि हो सकती है । निस्संदेह यह बैंकों के पोर्टफोलियो की जोखिम प्रोफाइल

पर निर्भर करेगा तथा इससे बेहतर जोखिम प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा, किन्तु बैंकों को रणनीतिक पूंजी आयोजना के माध्यम से अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी ।

दूसरा, ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण बाहरी ऋण रेटिंग पर अत्यधिक आश्रित रहता है । जबकि रिज़र्व बैक ने भारत में परिचालनरत चार रेटिंग एजेंसियों को मान्यता प्रदान की है भारत में रेटिंग की पैठ अपेक्षाकृत कम है । इसके अलावा भारत में ऋण रेटिंग लिखतों की रेटिंग तक ही सीमित है और उसमें जारीकर्ता संस्था का समावेश नहीं होता । इसके अतिरिक्त ऋण रेटिंग किसी संस्था की ऋण अवस्थिति का केवल विलंबित संकेत उपलब्ध कराया जाता है तथा वह पूर्व संकेत नहीं होता । इसलिए बैंकों को अपने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया अभ्यास में इस पहलू पर सक्रिय रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी ।

तीसरा, मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम भार योजना कुछेक बैंक ग्राहकों को श्रेणी निर्धारण से बचे रहने हेतु भी कुछ प्रोत्साहन की व्यवस्था करती है, क्योंकि इस प्रकार की संस्थाओं को सर्वाधिक कम श्रेणी निर्धारित ग्राहक को प्राप्त होने वाले 150 प्रतिशत जोखिम भार की तुलना में 100 प्रतिशत का अपेक्षाकृत कम जोखिम भार प्राप्त होता है । श्रेणी निर्धारण से वंचित किसी ग्राहक द्वारा खराब श्रेणी निर्धारण की आशा किए जाने पर यह विशेष स्थिति निर्मित हो सकती है । बैकों को इस संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता होगी ।

चौथा, नया ढांचा ऊंचे श्रेणी निर्धारण जिस पर अपेक्षाकृत कम पूंजी प्रभार लागू होता है, वाले उत्कृष्ट ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा को गहन भी बना सकता है । इससे बैंक के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है । अतएव बैंकों को ग्राहक बनाने और उन्हें टिकाए रखने की उनकी रणनीति को युक्तियुक्त और पुनरानुकूल बनाने की आवश्कता होगी ।

अंतिम, उक्त ढांचे के स्तंभ 2 के अधीन आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया को कार्यान्वित करना संभवतः भारतीय बैंकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसके लिए ऐसे सभी जोखिमों, जो उक्त ढांचे के अन्य दोनों स्तंभों में शामिल नहीं हैं, का पता लगाने हेतु एक व्यापक जोखिम प्रतिरूपण की आधारभूत सुविधा की आवश्यकता होती है । पर्यवेक्षकों द्वारा बैकों के आंतरिक मॉडलों का वैधीकरण भी एक श्रमसाध्य कार्य होगा ।

14. जहां तक बासेल II के अधीन उपलब्ध उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाए जाने का सम्बन्ध है, रिज़र्व बैंक ने इन दृष्टिकोणों को अपनाए जाने हेतु कोई समय-सीमा नही निर्धारित की है किन्तु उन्नत दृष्टिकोणों की ओर अभिगमन निश्चित रूप से दोनों ही - बैंकों और पर्यवेक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनेगा । इस मामले में थोड़े से भिन्न स्वरूप वाले मुद्दों और चुनौतियों के उपस्थित होने की संभावना है, जिनका उक्त दिशा में अभिगमन करने का निर्णय लिए जाते समय ध्यान रखे जाने की आवश्यकता होगी ।

पहला और सर्वोपरि, बैंकों के लिए पर्यवेक्षकों को यह प्रदर्शित किए जाने की आवश्यकता होगी कि वे आइआरबी दृष्टिकोणों को अपनाने का पात्र होने के लिए बासेल II ढांचे में निर्धारित न्यूनतम मानदंड को पूरा करते हैं । इसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ जोखिम निर्धारण डिज़ाइन और बैंकों में विविध उत्पाद लाइनों के लिए उसके परिचालनों तथा रेटिंग प्रक्रिया की ईमानदारी को सुनिश्चित करने के लिए अभिशासन ढांचे में भी उपयुक्त समायोजन की आवश्कता हो सकती है ।

दूसरा, बासेल II के अधीन अपेक्षाकृत सरल दृष्टिकोणों के विपरीत उन्नत दृष्टिकोण अत्यधिक डाटा प्रधान होते हैं तथा उनमें विविध उधारकर्ता और सुविधा श्रेणियों के लिए पांच से सात वर्षों की अवधि के उच्च गुणवत्ता, सुसंगत, समक्ष श्रृंखलाओं वाले डाटा की आवश्यकता होती है, ताकि अपेक्षित जोखिम मापदंडों (जैसे-चूक की संभाव्यता और

हानि कराने वाली चूक आदि) की गणना की जा सके । बैंकों को शायद अपेक्षित डाटाबेस का सृजन करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने में समर्थ होने के उद्देश्य से उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं की उन्हें पुनः तैयार करने और समुन्नत बनाने की दृष्टि से उनकी गहन पुनरीक्षा करने की आवश्यकता होगी ।

तीसरा, उन्नत दृष्टिकोण में, परिदृश्य विश्लेषण के लिए एक ठोस दबाव-परीक्षण ढांचे सहित एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन संरचना एक आवश्यकता होगी । आंतरिक रेटिंग प्रक्रियाओं की यथार्थता को विधिसंगत बनाने के लिए बैंकों के भीतर ही एक प्रणाली जोखिम प्रबंधन ढांचे का एक आवश्यक तत्व होगी ।

चौथा, कुशल डाटा प्रबंधन के लिए तथा प्रभावी जोखिम प्रबंधक ढांचे के लिए आवश्यकता होगी एक अधुनातन प्रौद्योगिकीय आधारभूत सुविधा, जिसके लिए महत्त्वपूर्ण निवेश और सुधार की आवश्कता हो सकती है, ताकि समेकित उद्योगवार समग्र जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके । इसके लिए प्रचंड रूप से संकेन्द्रित रणनीतिक आयोजना की आवश्यकता होगी।

पांचवां, उन्नत दृष्टिकोणों के अधीन विनियामक पूंजी आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु बैंक को उपलब्ध पर्याप्त छूट के फलस्वरूप उन्नत दृष्टिकोणों की ईमानदारी को बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन के सर्वोच्च मानक महत्वपूर्ण होंगे ।

छठा, उन्नत दृष्टिकोणों की जटिलता अत्यधिक कुशल स्टाफ़ की अपेक्षा करती है और बैंकिंग उद्योग, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में मानव संसाधन प्रबंधन उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने में एक बाध्यकारी विवशता सिद्ध हो सकता है । इसके लिए बैंकों की ओर से नवोन्मेषी रणनीतियों और सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता होगी, ताकि वे संगठन में प्रतिभा के सम्मिश्र को आकर्षित करने और टिकाए रखने में समर्थ हों ।

अंतिम, उन्नत दृष्टिकोण पर्यवेक्षकों पर भी न केवल कार्यान्वयन के शुरू से अंत तक के चरण में, अपितु विनियमित बैंकों द्वारा अपनाए गए आंतरिक मॉडलों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को भी विधिसंगत बनाने में बैंकिंग प्रणाली के मार्गदर्शन की दुर्वह ज़िम्मेदारी डालेंगे । कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके लिए पर्याप्त क्षमता के निर्माण और विषय-क्षेत्र की जानकारी के संवर्धन तथा स्वयं पर्यवेक्षकों को विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, ताकि बासेल II के अधीन उन्नत दृष्टिकोण की ओर अविघटनकारी अभिगमन को सुनिश्चित किया जा सके ।

उपसंहार

15. मैंने बासेल II ढांचे को कार्यान्वित करने के भारतीय दृष्टिकोण तथा भारतीय बैंकों की तैयारी से सम्बन्धित स्थिति का एक संक्षिप्त विहंगावलोकन प्रदान किया है । मैं यहां उपस्थित लोगों को यह स्मरण कराते हुए अपने व्याख्यान को समाप्त करना चाहूंगा कि बासेल II ढांचा अधिक कुशल जोखिम- प्रतिलाभ प्रतिफल दिलाने हेतु बैंकों की जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता को निखारने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करता है, वह उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप सक्षम बनाने के लिए मूल्यवान अवसर भी उपलब्ध कराता है । इसके लिए पर्याप्त सक्षमता के निर्माण और इस दुर्वह उत्तरदायित्व को पूरा करने में मार्गदर्शन करने के लिए बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के घनिष्ठ सरोकार के माध्यम से संसाधनों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी । निस्संदेह यह बैंकों और पर्यवेक्षकों दोनों ही के लिए एक श्रामसाध्य एवं हतोत्साहित कर देने वाला महत्कार्य है, किन्तु मुझे विश्वास है कि हम सब के सम्मिलित एवं समर्पित प्रयासों से हम इस कसौटी पर खरे उतरेंगे और देश में विनियामक सुधारों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने की अपनी इस यात्रा के एक और महत्वपूर्ण मील के पत्थर को पार कर लेंगे ।